न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–28/2025
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–08.05.2025
निर्णय दिनांक–14.10.2025

1. ओमप्रकाश यादव पुत्र मन्नालाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक
2. कन्हैयालाल पुत्र मन्नालाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. छोटूलाल पुत्र मन्नालाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. मोत्या पुत्री मन्नालाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. हंसा पुत्री मन्नालाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
अप्रार्थीगण–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। भूमि आराजी ख0न0 1149 रकबा 07–10 बीघा भूमि में से रकबा 02–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व. मन्नालाल पुत्र गेन्दीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली द्वारा दिनांक 19.06.2002 को जरिये विक्रय पत्र द्वारा पूर्व खातेदार अहमद बक्श पुत्र इमामबक्श से खरीद की गई थी। जिसका कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय पत्र में अंकित अनुसार पूर्व में इसी नम्बर का शेष भाग, पश्चिम में मिठ्ठू पुत्र लक्ष्मीनारायण का खेत ख0न0 1147 व 1145, उत्तर में पुरूषोत्तम पुत्र रामकरण शर्मा का खेत ख0न0 1150, दक्षिण में हरिदास पुत्र कल्याण अहीर का खेत के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

मध्य स्थित अर्थात उक्त सीमाओ के मध्य व भूमि ख0न0 1149 भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ कब्जा सुपूर्द किया था। जिस पर प्रार्थीगण उनके पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार ही प्रार्थीगण के पिता की खरीदशुद्धा भूमि की तरमीम कर दी गई थी, लेकिन सेग्रीगेशन के समय प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत कर दी गई। जिसको नक्शा शीट में दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली कि वर्तमान नक्शा शीट में सेग्रीगशनं के समय की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर विक्रेता द्वारा दिये कब्जे व मौके पर काबिज अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से जवाब प्रार्थना पत्र चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण ओमप्रकाश वगै0 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात की सेग्रीगेशन से पूर्व की लट्ठा शीट में तरमीम नही हो रखी है तथा ख0न0 1149/2 की तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई है। ग्राम जंवाली के नामान्तकरण संख्या 545 बेचान से स्वीकृत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0न0 1149 रकबा 07–10 बीघा में से खातेदार अहमदबक्श पुत्र इमामबक्श कोम मुसलमान सा.देह खातेदार द्वारा 02–00 बीघा भूमि का बेचान क्रेता मन्नालाल पुत्र गेन्दीलाल जाति अहीर सा.देह खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है उक्त नामान्तकरण संख्या 545 के पीछे के पृष्ठ पर ख0न0 1149 का नजरी नक्शा बना हुआ है। जिसमें विक्रित 02–00 बीघा भूमि नवीन ख0न0 1149/2 की तरमीम ख0न0 1149 के पश्चिम दिशा में दर्शायी हुई है। विवादित आराजीयात आराजी ख0न0 1149/2 का मौका देखा गया। मौके पर ख0न0 1149/2 के खातेदार ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, छोटूलाल, मोत्या, हंसा पि0 मन्नालाल जाति यादव (अहीर) सा.देह खातेदार वर्तमान में ख0न0 1149 के पश्चिमी भाग में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौका पर्चा संलग्न है।

प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। भूमि आराजी ख0न0 1149 रकबा 07–10 बीघा भूमि में से रकबा 02–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व. मन्नालाल द्वारा दिनांक 19.06.2002 को जरिये विक्रय पत्र द्वारा पूर्व खातेदार अहमद बक्श पुत्र इमामबक्श से खरीद की गई थी। जिसका कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय पत्र में अंकित अनुसार पूर्व में इसी नम्बर का शेष भाग, पश्चिम में मिठ्ठू पुत्र लक्ष्मीनारायण का खेत ख0न0 1147 व 1145, उत्तर में पुरूषोत्तम पुत्र रामकरण शर्मा का खेत ख0न0 1150, दक्षिण में हरिदास पुत्र कल्याण अहीर का खेत के मध्य स्थित अर्थात उक्त सीमाओ के मध्य व भूमि ख0न0 1149 के पश्चिम दिशा की तरफ कब्जा सुपूर्द किया था। जिस पर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रार्थीगण, उनके पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार ही प्रार्थीगण के पिता की खरीदशुद्धा भूमि की तरमीम कर दी गई थी, लेकिन सेग्रीगेशन के समय प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत कर दी गई। जिसको नक्शा शीट में दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम् जंवाली, पटवार हल्का जंवाली कि वर्तमान नक्शा शीट में सेग्रीगशन के समय की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर विक्रेता द्वारा दिये कब्जे व मौके पर काबिज अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की उक्त आराजीयात की सेग्रीगेशन से पूर्व की लट्ठा शीट में तरमीम नही हो रखी है तथा ख0न0 1149/2 की तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई है। ग्राम जंवाली के नामान्तकरण संख्या 545 बेचान से स्वीकृत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0न0 1149 रकबा 07–10 बीघा में से खातेदार अहमदबक्श पुत्र इमामबक्श कोम मुसलमान सा.देह खातेदार द्वारा 02–00 बीघा भूमि का बेचान क्रेता मन्नालाल पुत्र गेन्दीलाल जाति अहीर सा.देह खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है उक्त नामान्तकरण संख्या 545 के पीछे के पृष्ठ पर ख0न0 1149 का नजरी नक्शा बना हुआ है। जिसमें विक्रित 02–00 बीघा भूमि नवीन ख0न0 1149/2 की तरमीम ख0न0 1149 के पश्चिम दिशा में दर्शायी हुई है। विवादित आराजीयात आराजी ख0न0 1149/2 का मौका देखा गया। मौके पर ख0न0 1149/2 के खातेदार ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, छोटूलाल, मोत्या, हंसा पि0 मन्नालाल जाति यादव (अहीर) सा.देह खातेदार वर्तमान में ख0न0 1149 के पश्चिमी भाग में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

पत्रावली में प्रस्तुत हाल नक्शा शीट, नामान्तकरण पुस्तक के पीछे बने नक्शा शीट व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. की तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई। जिनकी विक्रयपत्र में दिये गये कब्जे अनुसार तरमीम नही की गई है। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त त्रुटी को तहसीलदार पीपलू द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया गया है। पत्रावली में संलग्न विक्रयपत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है की प्रार्थीगण के पिता स्व. मन्नालाल को क्रेता द्वारा कब्जा पूर्व में इसी नम्बर का शेष भाग, पश्चिम में मिठ्ठू पुत्र लक्ष्मीनारायण का खेत ख0न0 1147 व 1145, उत्तर में पुरूषोत्तम पुत्र रामकरण शर्मा का खेत ख0न0 1150, दक्षिण में हरिदास पुत्र कल्याण अहीर का खेत के मध्य स्थित अर्थात उक्त सीमाओ के मध्य व भूमि ख0न0 1149 भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ कब्जा सुपूर्द किया था। जिसकी ताईद नामान्तकरण 545 के पीछे के पृष्ठ पर बने हुए नजरी नक्शे से होती है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 1149/2 रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली की हाल नक्शा शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को निरस्त करते हुए मुताबिक विक्रय पत्र में अंकित दिशानुरूप, तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा शीट व मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा शीट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

Scanned with OKEN Scanner